न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/10/2018	2018/00013	25.01.2018	10.09.2021

01– दिलावर खां पुत्र झडमल जाति मेव निवासी ग्राम रघुनाथगढ तहसील रामगढ जिला अलवर
–अपीलांट

बनाम

01– तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर। –रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ़ दिनांक 09.10.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजरव अधिनियम प्रकरण संख्या 371/2017

उपस्थितः–

01–श्री भूपसिंह पोसवाल --वकील अपीलाण्ट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 09.10.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम रधुनाथगढ़ की सरकारी गैर मुमकिन बेहड भूमि आराजी ख.नं.1909 रकबा 0.58 है0 में से 0.30 है0 पर अवैध कब्जा करने/अतिक्रमण करने पर की गई सजा व पैनेल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर होकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम रधुनाथगढ की सरकारी गैर मुमकिन बेहड खसरा नम्बर 1909 रकबा 0.58 है0 में से 0.30 है0 पर अवैध अतिक्रमण मानते हुए पटवारी हल्का रधुनाथगढ द्वारा रिपोर्ट दिनांक 11.01.2018 को अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने 03 माह की सजा व पचास गुना पैनेल्टी से दण्डित किया। अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है व पूर्व में अपीलान्ट को बेदखल नहीं किया गया है तथा किसी प्रकार की सजा से आरोपित नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनरथ न्यायालय का आदेश दिनांक 09.10.2017 अपास्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील अपीलान्ट की बहस का मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 09.10.2017 के विरूद्ध दिनांक 25.01.2018 को अपील पेश की है। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने अधिनरथ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा पेश अपील का भी अवलोकन एवं तहसीलदार रामगढ से विवादित आराजी के वर्तमान मौके की

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

स्थिति की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार रामगढ ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 16.03.2021 में अंकित किया है कि **''ग्राम रघुनाथगढ के विवादित आराजी खसरा नम्बर 1909 रकबा 0.58 है0 में से 0.30 है0 किस्म गैर मुमकिन बेहड पर किसी भी व्यक्ति का कब्जा नहीं है। भूमि वर्तमान में खाली पडी हुई है।''** तहसीलदार रामगढ की रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमी ने विवादित आराजी से अपना कब्जा हटा लिया है एंव वर्तमान में विवादित आराजी अतिक्रमण मुक्त है। प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धान्त एंव न्यायोचित प्रक्रियानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलान्ट को आरोपित 03 माह की सजा के स्थान पर तीन दिन की सजा के दण्ड से दण्डित किया जाता है। 03 दिन की सजा से पूर्व तहसीलदार रामगढ विवादित आराजी के मौंके की भली प्रकार जांच कर यह सुनिश्चित करें कि अतिक्रमी का विवादित आराजी पर अतिक्रमण नहीं है। तहत न्यायालय का शेष आदेश यथावत रखा जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेश दिये जाते है कि यदि अपीलान्ट का प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमण यथावत पाया जाता है अथवा अपीलान्ट उक्त आराजी पर पुनः अतिक्रमण करता है तो अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91(6)भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय प्रति अधिनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(मुकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

निर्णय आज दिनांक 10.09.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)